

- आदेश :-

26.07.2024

अभिलेख उपस्थापित।

वारी उपस्थित है। वारी की ओर से उनके पुत्र मोह
हमी-गुदरीन अंशदायी रिज - अब्दुल रहमान रिज उपस्थित
होकर अपने दावा के समर्थन में केवला दलील, शुद्धि-पत्र
तथा लगान रसीद की लगावगि पेश किया है। उन्होंने केवला
दलील में में वास्तविक दलील संख्या - 38 कले हुए
शुद्धि-पत्र में सुझाव कले का अनुसूच किया है।

चूंकि Online Mutation को प्राप्त है अतः इसके
में शुद्धि का में सुझाव हेतु DCLR खोरीमडुआ के माध्यम
में अपील कला आवश्यक है।

अतः वारी को सुझाव दिया जाता है कि
शुद्धि का में सुझाव हेतु DCLR, खोरीमडुआ के माध्यम
अपील करें।

अभिलेख की कारवाई लगान की जारी है।

26.07.24

अंशदायी
अनका

and the below answer